स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 382, दिनांक 27–12–2024

असलहा तस्करी गिरोह का सरगना एवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र जनपद अमेठी से गिरफ्तार।

दिनांक 27–12–2024 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को असलहा तस्करी गिरोह के सरगना एवं जनपद–लखनऊ से रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र को जनपद अमेठी से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

धर्मेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बब्बन मिश्र, पुत्र राम लल्लन मिश्र निवासी सेमीपुर, थाना–मुन्शीगंज, जनपद अमेठी।

गिरफ्तारी का स्थान/दिनांकः–

शाहबाजपुर, थाना क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी दिनांक 27–12–2024 समयः 14.50 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुक्रम में श्री प्रमेश कुमार शुक्ला, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में उ0नि0 जावेद आलम सिद्दीकी के नेतृत्व में उ0नि0 चन्द्र प्रकाश मिश्र, मु0आ0 मृत्युन्जय सिंह, बरनाम सिंह, यशवन्त सिंह, वीर प्रताप सिंह, कमा0 दयानन्द मिश्र चालक रईस खान की टीम जनपद अमेठी में भ्रमणशील थी, इस दौरान विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि असलहा तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं जनपद लखनऊ के थाना पारा, लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में वांछित रू0 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार मिश्र उर्फ बब्बन मिश्र के थाना क्षेत्र गौरीगंज, अमेठी में मौजूद होनी की सूचना पर एसटीएफ द्वारा शाहबाजपुर, थाना क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी से अभियुक्त उपरोक्त को आवश्यक बल प्रयोग कर गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह थाना मंशीगंज, जनपद अमेठी का हिस्ट्रीशीटर नं0 74ए, है। पिछले कई वर्षो से मध्य प्रदेश के बुरहानपुर व खण्डवा से अवैध पिस्टल मंगाकर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में बेचता है। पिस्टल लाने का काम कैरियर के माध्यम से कराता है। जहॉ से पिस्टल मंगाना होता है, उनसे बात करके दिनांक व समय तय करके उसी अनुसार कैरियर को वहॉ भेजता है। जो माल लेकर इसको पहुॅचाते है। रू0 15–16 हजार की दर से पिस्टल खरीदकर 20–25 हजार में सप्लाई करता है। दिनांक 24–07–2024 को अवैध पिस्टलों के साथ मनीष गुप्ता व शैलेन्द्र शर्मा को एसटीएफ उ0प्र0 द्वारा 08 पिस्टल व 16 मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया था। जिसे इसके द्वारा ही मंगाया गया था।

उपरोक्त गिरफ्तार को थाना पारा, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 391/2024 धारा 25(8) आयुध अधि0 में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना पारा, जनपद लखनऊ द्वारा की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास :-

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	92/15	323, 504, 506 भादवि व 3(1) 10 एससीएसटी	मुन्शीगंज	अमेठी
2	341/16	323,506, 504 भादिव	मुन्शीगंज	अमेठी
3	355/16	323, 504, 506 भादिव	मुन्शीगंज	अमेठी
4	508/16	3/4 यू0पी0 गुण्डा अधि0	मुन्शीगंज	अमेठी
5	62/18	147, 323, 506 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
6	520/16	147, 148, 149, 452, 323, 504, 506,427, 307 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
7	338/16	323, 504, 506 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
8	203/18	147, 504, 506, 507 भादवि	मुन्शीगंज	अमेठी
9	507/20	2/3(1) गैगे0 एक्ट	अमेठी	अमेठी
10	910/14	147, 148, 149, 308, 323, 427 भादवि	अमेठी	अमेठी
11	1116/15	3/4 गुण्डा अधि0	अमेठी	अमेठी
12	955/16	323, 504, 506, 325 भादवि	अमेठी	अमेठी
13	345/19	147, 148, 149, 302 भादवि	अमेठी	अमेठी
14	112/18	3/25 आर्म्स एक्ट	संग्रामपुर	अमेठी
15	298/18	3/35 आर्म्स एक्ट	संग्रामपुर	अमेठी
16	183/18	392, 411 भादवि	गौरीगंज	अमेठी
17	251/24	55 बीएनएस	गौरीगंज	अमेठी
18	190/18	115/120 बी	गौरीगंज	अमेठी
19	10/23	8/21 एनडीपीएस एक्ट	मुन्शीगंज	अमेठी
20	391/24	25(8) आर्म्स एक्ट	पारा	लखनऊ